

दिनांक

हुसम या कार्यवाही या इतिहासका क्रम

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला नौलवाड़ा

18-7-23

याच / मार्गनामत्र याच जींच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को शमन नोटिस जारी किये जाये। पत्रावली दिनांक 25.8.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
साहायक कोमप्यूटर माण्डल

25.8.23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
व्यापिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 29.9.23 को पेश हो।

29-9-23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
व्यापिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 10.10.23 को पेश हो।

10-10-23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण
के सागण बाद शामिल होकर भात हुए जिसे शामिल
पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कककक
आयाके फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, उनके फिकड
एक तरफ कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
वकील प्रार्थीगण का मार्गनामत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय सप्तक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया
जाया। पत्रावली फैसल शुभार हो 29.10.23 को सुनो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला नौलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 141/23 प्रा.पत्र

1- प्रेम D/O मोतीलाल दणो निवासी-मेनियास तहसील-गांडल (वर्ग 1)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीसत्यनारायण D/O देवीलाल दरोगा निवासी-मेनियास तहसील-गांडल (वर्ग 1)
(संबंधित प्रा.पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 05-10-23

::आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेनियास पटवार हल्का खावडी तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 740/219 कुल किता 01 रकबा 1.0749 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18-07-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेनियास पटवार हल्का खावडी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 740/219 कुल किता 01 रकबा 1.0749 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 800/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरण की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा